

**न्यूतम भजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय महगाई भत्ता**

भजदूरम भजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा संख्या-194 / 30-3-2014-07 (न्यूजो) / 4 दिनांक: 28-1-2014 द्वारा 58 तथा अधिसूचित संख्या-880 / 30-03-2019-031(न्यूजो) / 06 दिनांक: 30 जिलान्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कैरेक्टरी हेतु भजदूरी की भूल इसी एवं परिवर्तनीय महगाई भत्ता का नियोजित किया गया है। भजदूरी की जो दरे मासिक आवार पर नियोजित की गयी है उनकी दैनिक दर भूल भजदूरी और परिवर्तनीय महगाई भत्ता के 1/26 से कम तथा प्रति छठे दर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त दो अनुक्रम में नियोजित 74 नियोजनों में नियोजित कैरेक्टरों के लिये अंकित भारतीय उपक्रम सूचकांक आवार वर्ष (2001-100) भाग जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 341 अंकों के ऊपर युलाई 2020 से दिसम्बर 2020 के औसत 341 अंकों पर दिनांक 14.2021 से दिनांक 30.9.2021 तक वर्ती आवधि हेतु परिवर्तनीय महगाई भत्ता नियोजित दृष्टान्त की भौति गणना करके देय होगा:-

**दृष्टान्त-** रामय-6750/-प्रतिमाह भजदूरी पासे वाले अनुशासन श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपक्रमता भूल सूचकांक-341 पर दिनांक 01-04-2021 से दिनांक 30-9-2021 तक की आवधि हेतु देय परिवर्तनीय महगाई भत्ता नियोजित होगा।

(341-210) X 6750-प्रतिमाह-0- 3328/-

216

दिविन शेणो के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह भूल भजदूरी परिवर्तनीय महगाई भत्ता मासिक एवं दिनांक भजदूरी की रूप निम्नवत है:-

क्रमांक	शेणी	प्रतिमाह भूल भजदूरी रूपये में	प्रतिमाह परिवर्तनीय महगाई भत्ता रूपये में		दिनांक 14.2021 से 30.9.2021 तक	
			दिनांक 01.10.2020 से 21.3.2021 तक	दिनांक 1.4.2021 से 30.9.2021 तक	भूल भजदूरी (रूपये में)	दिनांक भजदूरी (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अनुशासन	6750	3008	3328	9078	349
2	अनुशासन	6325	3308	3880	9985	384
3	कुशल	7065	3706	4100	11185	430

**नियोजन के नाम-**

1. दरवर की विनिर्माणशाला और रथर उत्पाद(ग्राम और टप्पू सहित) के उद्योग।
2. स्टार्टिक उद्योग और स्टार्टिक उत्पाद के उद्योग।
3. शिलान उद्योग।
4. बांशित पेंडी (एरोटेड डिंगंग) की विनिर्माण।
5. घरों के रसो गति विनिर्माणशाला।
6. प्रत्यक्षार्थ लकड़ी (चर्चर्चुड) के उद्योग।
7. पेट्रोल और डीजल आवार पद्ध।
8. लैंगी और मिल्क डेरी।
9. निलो शिलाये कपड़ों की विनिर्माणशाला।
10. गोव लटबन्ध के निर्माण और अनुशासन, सिंचाई परियोजनाओं युक्ती और तालाबों की खुदाई।
11. उन समस्त राजस्त्रीयत कारखानों में नियोजन, विनाका उल्लंघन पहले नदी किया गया है।
12. प्राइवेट अरमानाल(निसिंग होम्स) एवं नाइटवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरी सामान की दुकानों।
13. बलाई घर।
14. शातु उद्योग।
15. दिन घोल शैषिंग और दिन ग्रिटिंग।
16. ऐसी अभियानशाला उद्योग जिसमें 50 से ज्यादा व्यक्ति नियोजित हैं।
17. वर्ष सौधनशाला और वर्ष विनिर्माण शाला।
18. वर्ष वस्तु विनिर्माण उद्योग।
19. होजरी सकर्म।
20. नियजी पुस्तकालय।

42. जिल्हाधीश।  
 43. कोल्ड रेसोर्वे।  
 44. पाटडी, सिरैनियस या रिफैनरीजन।  
 45. निश्ची मुद्रणालय,  
 46. शिवेश लग्नाग।  
 47. कपड़ा छापाई।  
 48. बिल्लाई छहोग।  
 49. एलोपेथिक, आयुर्विक, गूगनी ग्रामेस।  
 50. बलब।  
 51. हथकरघा(तिक्क वरी साढ़ी की तुनाई) घोरी के गार्भ।  
 52. अचला घोने आ प्रसादन खे साबुन या शिविरेह या साबुन या चूर्चा या प्रकालक दिनिर्माण।  
 53. लग्नी चम्पल रनाने के अधिकाल।  
 54. दुष्टांशुरारी।  
 55. हथकरघा उद्योग।  
 56. लाभि यानित करणा लग्नोग।  
 57. छोटा(मिनीएचर) थत्य एवम् कोंब उत्तादी के निर्माण।  
 58. नगज, गलता और ऐपर बोर्ड उद्योग।  
 59. इट नद्दा उद्योग।  
 60. ताला उद्योग के नियोजन में।  
 61. बीकल वी बत्तनों एवं गीतज उत्पाद के लिनिर्माण के नियोजन।  
 62. किसी निती चुक्का और सेता प्रदाता अभिकरण में नियोजित चुक्का कर्मी(चुक्का कर्मियो)  
 63. जिनमें हिंदियार राहिल/हिंदियार रहिल आदि कर्मी नमिलित हो।  
 64. तुहारने और रापाठु में नियोजन, जिसमें रापाई कर्मानी नियोजन एवं शुक्र चौकालयों का निर्माण(बतिरीध)  
 65. अधिनियम, 1933 के अन्तर्गत के नियित विद्या-विद्याप समिलित नहीं है।  
 66. छर्टु भानगारों का नियोजन।  
 67. कम्प्यूटर हाल्डेयर सद्योग एवं सीधाडों में नियोजन।  
 68. एलटीजीठि वितरण एवं राष्ट्रिय नेताओं में नियोजन।  
 69. टीक्कीज, आटोरिशा/टीपो एवं दुर्देशित अभिकरण में नियोजन।  
 70. कोविल आपरेटर एवं संबंधित रोवाओं में नियोजन।  
 71. गैर चरकारी संगठन(एनएसीआरो) एवं सरकारी रोवाओं में नियोजन।  
 72. विद्युत नियन्त्रिक्य संपर्क(सेवा राती)अधिनियम 1976 के लड्डोन समिलित अथवा समिलित विद्युत जाने  
 73. वाल किसी लड्डोन गे) में नियोजन।  
 74. ट्रेपर कटिंग सेल्स एवं लूही पार्वत(पुराव एवं भैंसलाई) में नियोजन।  
 75. कार्पोरेट कायालियों में नियोजन।  
 76. काल सन्तर/स्थाईटोप इंडिस्ट्रीज/टीलीकालिंग रोवाओं आदि में नियोजन।  
 77. ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुकूलित नियोजन के अवीन आन्ध्रादित न हो, में नियोजन।

(कल्पना श्रीवास्तव)

उप अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश  
 दृष्टे अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० ई० रोड, कानपुर।

संख्या ३८८-८ (प्रजनन—(एमएसटू) / १५

दिनांक ११/५/२०२१

#### प्रतिलिपि—

1. जमकृत क्षेत्रीय अपर/उप अम आयुक्त, २०२० को इस आलाय से प्रेषित कि अधीनस्थ अविकारियों को उपगत कर्तव्य लाय अनिका, सेवायोजकों व उनके प्रतिविधियों हाला मीरा जाने पर उपलब्ध करायें।

किंतु उपलब्ध न हो अन्तर्गत शब्द अनुसन्धान—१ लालनक।